दस गुना बड़ा होगा पटना, शामिल होंगे 11 प्रखंड

ग्रेटर पटना : मंत्री ने देखा प्रेजेंटेशन, दो महीने तक लोग दे सकते हैं मास्टर प्लान पर अपनी राय, उसके बाद मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी

भास्कर न्यूज | पटना

ग्रेटर पटना वर्तमान पटना से 10 गुना बड़ा होगा। अभी पटना का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। नए मास्टर प्लान के अनुसार, ग्रेटर पटना का 1144.89 वर्ग किलोमीटर का होगा। नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना के मास्टर प्लान को लोगों के सुझाव के लिए 15 जुलाई तक पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। दो महीने तक लोग अपनी राय देंगे। अच्छे सुझाव पर विचार के बाद इसमें संशोधन किया जाएगा। फिर विभाग समीक्षा कर सरकार के पास कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। सोमवार को मास्टर प्लान को लेकर समीक्षा बैठक हुई। सेप्ट के प्रतिनिधियों ने प्रजेंटेशन दिया।

आसपास सैटेलाइट टाउनशिप : बिहटा, दानापुर, दनियावां, धनरूआ, खुसरूपुर, मनेर, मसौढ़ी, नौबतपुर, पटना (ग्रामीण), पुनपुन और संपतचक। इन प्रखंडों के आसपास सेटेलाइट टाउनशिप बनाई जाएगी। यहां जलजमाव से निपटने की विशेष योजना बनाई जाएगी। बिल्डिंग बायलाज इस तरह से बनेगा कि कम लोगों को नुकसान हो। सरकार तोड़फोड़ के पक्ष में नहीं है।

विकास भवन में प्रेजेंटेशन देखते मंत्री सम्राट चौधरी।

15
जुलाई तक पब्लिक डोमेन में आएगा पटना का मास्टर प्लान

बिहटा-सरमेरा रोड पर बनेगा नया एयरपोर्ट

पटना का मास्टर प्लान

क्षेत्रफल	1144.86 वर्ग किमी.
आवासीय एरिया	55.58 प्रतिशत
औद्योगिक एरिया	5.93 फीसदी
विनिर्माण एरिया	2.5 फीसदी
पब्लिक व सेमी पब्लिक	8.5 फीसदी
मनोरंजन (रिक्रिएशन)	8.63 फीसदी
ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन	3.35 फीसदी

पटना के अलावा 10 और शहरों का मास्टर प्लान

पटना के मास्टर प्लान के अलावा 10 अन्य शहरों का भी मास्टर प्लान जल्द तैयार होगा। इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। ये हैं शहर : मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, गया, बेगूसराय, कटिहार, आरा, बिहारीफ और मुंगेर।

प्लान में शामिल गांव दिल्ली के लाल डोरे की तर्ज पर विकसित होंगे

दिल्ली शहर में जिस तरह से गांवों को संरक्षित रखा गया है, ठीक उसी तरफ की व्यवस्था यहां भी की जाएगी। मंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले गांवों के लोगों के प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच और स्थानीय विधायकों से सुझाव लिए जाएंगे। दिल्ली के लाल डोरे की तर्ज पर गांवों को विकसित किया जाएगा।

सुविधाएं

- बिल्डिंग बायलॉज लागू नहीं होता
- हाउस टैक्स नहीं देना पड़ता

लाल डोरा क्या है

अंग्रेजों ने गांवों को चिह्नित करने के लिए मैप पर गांवों को लाल इंक से रंग दिया था। उसी समय से उन इलाकों को लाल डोरा कहा जाता है।